



2026:AHC:164905

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या - 27418 वर्ष 2026

अर्जुन

.....आवेदनकर्ता(गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदनकर्ता(गण) के अधिवक्ता : प्रियंका शर्मा

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 67

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

1. पहले शिकायतकर्ता की ओर से श्री नियाज़ अहमद द्वारा दाखिल वकालतनामा अभिलेख पर लिया गया है।

2. आवेदक की अधिवक्ता सुश्री प्रियंका शर्मा, पहले शिकायतकर्ता के अधिवक्ता श्री नियाज़ अहमद और राज्य की ओर से एजीए श्री एस.डी. शुक्ला के तर्क सुने गए और अभिलेख देखा गया।

3. आगे यह तर्क दिया गया है कि यह आवेदक का दूसरा ज़मानत प्रार्थना-पत्र है और पहले ज़मानत प्रार्थना-पत्र को ऊपर बताई गई छूट के साथ वापस लेने के आधार पर खारिज कर दिया गया था।

4. यह ज़मानत प्रार्थना-पत्र आपराधिक वाद संख्या 250/2026 (बीएनएस की धारा 64(1), 137(2), पोक्सो अधिनियम की धारा 3/4 और एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(2)5 के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तहत, थाना खुर्जा नगर, जिला बुलंदशहर) में विचारण के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की मांग के साथ दाखिल की गई है।

5. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फँसाया गया है, जबकि उसके खिलाफ कोई दोषी ठहराने वाला साक्ष्य नहीं है। आगे यह भी कहा गया है कि दूसरी पीड़िता ने बीएनएसएस की धारा 180 और 183 के तहत दर्ज अपने बयान में कहा है कि वह अपनी मर्जी से घर से निकली थी और उसने अपनी मर्जी से आवेदक से शादी की थी। आगे यह भी कहा गया है कि पाँचवीं कक्षा के प्रमाण-पत्र के अनुसार पीड़िता की उम्र 16 साल 10 महीने पाई गई है और दसवीं कक्षा या विद्यालय में पहली बार दाखिले का कोई प्रमाण-पत्र नहीं है। आगे यह भी कहा गया है कि उसकी उम्र का पता लगाने के लिए कोई रेडियोलॉजिकल जांच नहीं की गई है। आगे यह भी कहा गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 24.04.2026 से जेल में बंद है; अगर उसे जमानत मिलती है, तो वह जमानत की आज्ञादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

6. इसके विपरीत, पहले शिकायतकर्ता के अधिवक्ता और एजीए ने जमानत की मांग का जोरदार विरोध किया है और उनका कहना है कि पीड़िता नाबालिग लड़की है और उसकी सहमति का कोई महत्व नहीं है।

7. प्राथमिकी के अनुसार, कहा गया है कि आवेदक और सह-आरोपियों ने शिकायतकर्ता की दो बेटियों को बहला-फुसलाकर भगा ले गए थे; हालाँकि, दूसरी पीड़िता ने बीएनएसएस की धारा 180 और 183 के तहत दर्ज अपने बयान में कहा है कि वह अपनी मर्जी से घर से निकली थी और उसने अपनी सहमति से आवेदक से शादी की थी। आगे यह भी बताया गया है कि 5वीं कक्षा के प्रमाण-पत्र के अनुसार पीड़िता की उम्र 16 साल 10 महीने पाई गई है और उसके पास दसवीं कक्षा या सबसे पहले जिस विद्यालय में उसने पढ़ाई की थी, उसका कोई प्रमाण-पत्र नहीं है। साथ ही, उसकी उम्र का पता लगाने के लिए कोई रेडियोलॉजिकल जांच भी नहीं की गई है। यह भी बताया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 24.04.2026 से जेल में बंद है।

8. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्यों, आरोपी की संलिप्तता, जेलों में भीड़ और विचारण न्यायालय में लंबित आपराधिक मामलों की भारी संख्या को ध्यान में रखते हुए; साथ ही **कपिल वाधवान बनाम**

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038 मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** 2024 एससीसी ऑनलाइन इला 6765 मामले में इस न्यायालय की जमानत देने संबंधी दिशानिर्देश को देखते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मानना है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

9. इसलिए, यह आवेदन **स्वीकार किया जाता है**।

10. उक्त अपराध में शामिल आवेदक - **अर्जुन** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही राशि की दो जमानतदार जमा करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:

(i) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(ii) आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए विचारण/जांच में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

(iii) जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि या अपराध में शामिल नहीं होगा।

(iv) आवेदक अपने द्वारा भरे गए बंधपत्र की शर्तों के अनुसार पेश होगा।

11. ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर जमानत निरस्त की जा सकती है।

12. बंधपत्र स्वीकार करने से पहले संबंधित न्यायालय आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और पते के साक्ष्य की जांच करेगी। संबंधित न्यायालय आवेदक और जमानतदारों के मोबाइल संख्या और आधार कार्ड की भी जांच करेगी।

13. इसके अलावा यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की जल्द रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के ज़रिए संबंधित जेल को रिहाई का आदेश भेजेगा।

14. जमानत देने की नीति रणनीति इन री: स्वप्रेरित रिट याचिका (क्रि.) संख्या 4 वर्ष 2021, फैसला 31.01.2023, (2024) 10 एससीसी 685 मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए, कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रतिलिपि



बुलंदशहर के जेल अधीक्षक के ज़रिए ईमेल या ई-प्रिज़न पोर्टल से 24 घंटे के अंदर आवेदक को भेजे।

(न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा)

6 अगस्त, 2026

आरकेएम

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।